न्यूज़ टुडे

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए "वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II (VVP-II)" को मंजूरी दी

VVP-II की आधारशिला पहले चरण के **'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-I'** पर रखी गई है। VVP-I के तहत **पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती गांवों को लक्षित** किया गया था।

- यह पहल **सुरक्षित व संरक्षित भू-सीमाओं को सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत@2047 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर** करती है।

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II (VVP-II) के बारे में

- **प्रकार:** यह **100% केंद्र वित्त पोषण** के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। गौरतलब है VVP-I केंद्र द्वारा **प्रायोजित योजना थी।**
- **कवरेज:** 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं (ILBs)** के साथ सामरिक अवस्थिति वाले गांव। इसमें VVP-I (2023-24) के तहत कवर किए गए **पूर्वोत्तर सीमा के ब्लॉक्स शामिल नहीं** होंगे।
- **उद्देश्य:** जीवन स्तर में सुधार लाना, आजीविका के अवसर प्रदान करना, सीमा-पार अपराध को नियंत्रित करना तथा **आंतरिक सुरक्षा के लिए आबादी को 'आंख और कान' के रूप में तैयार** करना।

वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम-II की मुख्य विशेषताएं

- **अवसंरचना का विकास: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV)** के तहत **सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़क संपर्क** के साथ सड़क, आवास, स्वच्छता, पेयजल और स्मार्ट कक्षाओं में निवेश करना।
- **मूल्य श्रृंखला और आजीविका विकास:** टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाना।
- **कल्याणकारी योजना:** कन्वर्जेंस मॉडल के अंतर्गत पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करते हुए निर्धारित गांवों में मौजूद कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।
- **संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा:** पर्यटन और स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए मेलों, त्योहारों, जागरूकता शिविरों एवं राष्ट्रीय दिवस समारोहों का आयोजन करना।
- **पीएम गति शक्ति:** इसका उपयोग परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।

सीमावर्ती गांवों में रहने वाली आबादी क्यों है रणनीतिक संपत्ति (Strategic Asset)?

स्थानीय ज्ञान का स्रोत:
सीमावर्ती लोग अपने नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरणीय परिस्थितियों और सीमा-पार गतिविधियों की गहरी जानकारी रखते हैं।

लॉजिस्टिक सहायता
दूरस्थ सीमावर्ती गांव गश्त करने वाले बलों को खाना, आश्रय और श्रम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

अनौपचारिक निगरानी
चरवाहे, घुमंतू जनजातियां आदि सीमा-पार अवैध गतिविधियों की **जल्द चेतावनी** देने का कार्य करते हैं।
- **उदाहरण:** ताशी नामग्याल (Tashi Namgyal) ने कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठ की सूचना दी थी।

राष्ट्रीय क्षेत्र के दावे को मजबूत करना
- **विवादित क्षेत्रों में बसी आबादी** भारत के दावे को मजबूत करती है।
- **उदाहरण:** भारत-चीन समझौता 2005 का **अनुच्छेद 7.**

विकास संबंधी पिछले प्रयास

1986-87	2005-06	2015
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	आदर्श ग्राम पहल	स्मार्ट /आदर्श ग्राम विकास

थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में छठा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ

बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना **1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।

- यह एक **क्षेत्रक-संचालित** समूह है। इसमें **सात** सदस्य देश (बांग्लादेश, भूटान, **भारत,** म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) शामिल हैं।
- इसके **चार्टर को श्रीलंका में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन (2022)** में अंतिम रूप दिया गया था।

छठे शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष

- **बिम्सटेक बैंकॉक विज़न 2030: 2030 तक एक समृद्ध, सक्षम और खुले या "प्रो बिम्सटेक"** के निर्माण के लिए रणनीतिक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला पहला विज़न तैयार किया गया है। इसके तहत आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौता:** इसमें **दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया** के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना, व्यापार लागत को कम करना आदि शामिल हैं।

भारत के नेतृत्व में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र:** इसके तहत **भारत** में आपदा प्रबंधन, संधारणीय समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे ।
- **बोधि (मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्सटेक):** यह पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके **युवाओं को कुशल बनाने** का कार्यक्रम है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत** क्षेत्र में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक **पायलट अध्ययन** आयोजित करेगा।
- **लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करना:** भारत **2027 में प्रथम बिम्सटेक खेलों की** मेजबानी करेगा।
- **बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना:** प्रतिवर्ष **बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया जायेगा।

बिम्सटेक की वर्तमान प्रासंगिकता

त्वरित निर्णय लेने की क्षमता:
साझा क्षेत्रीय समस्याओं पर ज्यादा फोकस।

भारत के रणनीतिक हितों के अनुरूप:
"एक्ट ईस्ट पॉलिसी" को बढ़ावा और पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहतर कनेक्टिविटी

व्यापार और सुरक्षा:
मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच व्यापार और सुरक्षा को मजबूत करना।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई भू-परिदृश्य में वन और वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए आदेश दिया

यह मामला 'सिंगमपट्टी ज़मीन वन भूमियों' पर अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसे चाय, कॉफी और रबड़ जैसी बागानी खेती के लिए साफ़ किया गया था।

- इस भूमि को 1978 में कलक्कड़-मुंडनतुरै आरक्षित वन क्षेत्र, 2007 में कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट तथा 2012 में वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व का हिस्सा घोषित किया गया था। इस वजह से चाय बागानों के श्रमिकों को भूमि से बेदखल कर दिया गया।

ए. जॉन कैनेडी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **"वन पारिस्थितिकी-तंत्र के फेफड़े हैं":** इनकी कटाई जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर सीधा प्रभाव डालती है।
  - पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, भारत में **लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि** अतिक्रमण के अधीन है।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र संतुलन के लिए बाघों की आबादी महत्वपूर्ण है:** न्यायालय ने टी.एन. **गोदावर्मन** मामले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि **"बाघ वन के बिना नष्ट हो जाएंगे, और वन अपने बाघों के बिना नष्ट हो जाएंगे।"**
  - न्यायालय ने **तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम (2024)** मामले में अपनाए गए **"मानव केंद्रित दृष्टिकोण से ऊपर पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण"** का समर्थन किया।

अगस्त्यमलाई भू-परिदृश्य के बारे में

- इसमें **पेरियार टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वरल वन्य जीव अभ्यारण्य तथा मेघमलाई और तिरुनेलवेली वन्य जीव अभ्यारण्य** शामिल हैं।
  - **तामिरबरणी नदी सहित 14 नदियां** इस भूभाग से होकर बहती हैं।
- **अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व** यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत **बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क** में शामिल है।
  - यह **तमिलनाडु और केरल में दक्षिणी पश्चिमी घाट** में स्थित है।
  - रिजर्व में 3 वन्यजीव अभयारण्य जैसे- **शेंदुर्नी, पेप्पारा और नेय्यर (केरल) तथा कलक्कड़ टाइगर रिज़र्व या कलक्कड़-मुंडनतुरै टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु)** शामिल हैं।

भारत में वन: वन और वन्यजीव संरक्षण कानून

वन वर्गीकरण (भारतीय वन अधिनियम, 1927 और राज्य वन अधिनियम)	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लेने से पहले भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
आरक्षित वन वनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। सभी गतिविधियां निषिद्ध होती हैं, जब तक कि उनकी विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।	**वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत टाइगर रिजर्व का वर्गीकरण:**
संरक्षित वन इस तरह के वनों को सीमित सुरक्षा प्रदान की जाती है। सभी गतिविधियां अनुमत होती हैं, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से निषिद्ध न किया गया हो।	**कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट** यह किसी वन क्षेत्र का सबसे सुरक्षित और गैर-प्रवेश वाला क्षेत्र होता है। हालांकि, इससे अनुसूचित जनजातियों या अन्य वनवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।
अवर्गीकृत वन ऐसा क्षेत्र जो वन के रूप में दर्ज है, लेकिन आरक्षित या संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं आते। इस भूमि का स्वामित्व प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हो सकता है।	**बफर या परिधीय क्षेत्र** यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम सुरक्षा वाला होता है और इसमें वन्यजीवों तथा मानव गतिविधियों के सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा की गई लगभग **25,000 कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।**

- इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए **चार प्रमुख सिद्धांत** भी निर्धारित किए हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैसाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) मामले में निर्धारित चार प्रमुख सिद्धांत:

- **गहन जांच प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी के संकेत मिलने पर संपूर्ण परीक्षा परिणाम को रद्द किया जा सकता है:**
  - यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के **"सचिन कुमार एवं अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)"** के निर्णय पर आधारित है।
  - **अपवाद:** यदि संभव हो तो संविधान के **अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1)** के अंतर्गत समानता के अधिकार के अनुरूप **दोषी एवं निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच अंतर** किया जाना चाहिए।
- **पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय उचित और निष्पक्ष जांच से प्राप्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही लिया जाना चाहिए।**
  - साक्ष्य को **यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि अनियमितताएं संदेह से परे हैं,** बल्कि यह दर्शाना चाहिए कि पूरी चयन प्रक्रिया में व्यवस्था संबंधी खामियां उचित रूप से मौजूद हैं। इसके लिए **प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी टेस्ट** का उपयोग करना चाहिए।
- **यदि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सिद्ध हो जाए,** तो चयन प्रक्रिया की शुचिता को निर्दोष अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधा के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **जब यह सिद्ध हो जाए कि पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी गतिविधियां** शामिल हैं, तो व्यावहारिक वजहों से **प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार देना आवश्यक नहीं** होगा।
  - उपर्युक्त में से अंतिम तीन सिद्धांतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने **"तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम ए. कलैमणि (2021) वाद"** में दिए गए निर्णय को आधार बनाया है।

मानक साक्ष्य क्या हैं?

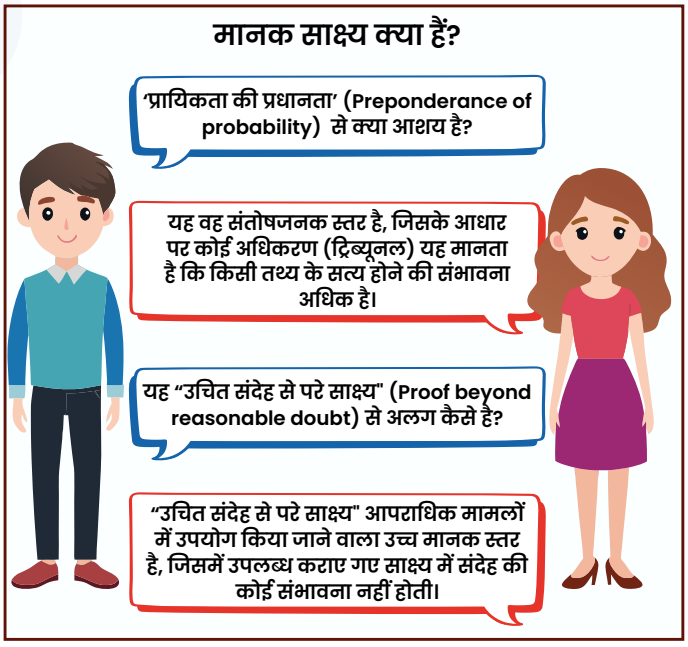

चयन प्रक्रिया रद्द करने से संबंधित कुछ अन्य न्यायिक निर्णय:

- **बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा एवं अन्य:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, तो **अलग-अलग अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं** है।
- **वंशिका यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य:** सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि किसी भी साक्ष्य ने यह नहीं दर्शाया कि परीक्षा की शुचिता में व्यवस्थागत खामियां मौजूद थीं।

भारत-थाईलैंड ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए

रणनीतिक साझेदारी एक कम औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण सहयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ा **साझा सहयोग** शामिल होता है, लेकिन यह व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों तक भी विस्तृत होता है।

भारत-थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी का महत्त्व

- **पारस्परिक रूप से लाभकारी लक्ष्य:** दोनों देश **एक स्वतंत्र, खुला, पारदर्शी, नियम आधारित, समावेशी और लचीले हिंद-प्रशांत** क्षेत्र को महत्त्व देते हैं। दोनों देश **आसियान केंद्रीयता** का भी समर्थन करते हैं।
  - 'आसियान केंद्रीयता' का अर्थ है कि इस क्षेत्र की भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था में ASEAN (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) की प्रमुख भूमिका बनी रहे।
- **रणनीतिक अवस्थिति:** थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है और क्षेत्रीय शांति में उसकी महत्वपूर्ण रुचि है।
- **पूरक नीतियां:** भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति और थाईलैंड की "एक्ट वेस्ट" नीति एक-दूसरे की पूरक हैं।
- **अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय समूहों में भूमिका:** थाईलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, खासकर आसियान और BIMSTEC/ बिम्सटेक जैसे मंचों में।

भारत-थाईलैंड संबंधों का अवलोकन

- **राजनयिक:** भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक **संबंध वर्ष 1947** से स्थापित हुए थे।
- **आर्थिक:** वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **लगभग 15 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था।
- **रक्षा:** अभ्यास मैत्री, इंडो-थाई कॉर्पेट आदि।

किए गए अन्य प्रमुख समझौते

- **अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** लोथल में **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर** (NMHC) और **पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास** (MDoNER) हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना:** भारत-थाईलैंड **कॉन्सुलर डायलॉग** की स्थापना की गई।
- **व्यापार सुविधा: स्थानीय मुद्रा-आधारित निपटान तंत्र** की स्थापना की संभावना पर विचार किया गया।

अन्य सुर्ख़ियां

अनिश्चितकाल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die)

लोक सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही मौजूदा **बजट सत्र का समापन** हो गया।

अनिश्चितकालीन स्थगन के बारे में:

- 'Sine Die' एक लैटिन शब्दावली है, जिसका अर्थ है "**अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना।**"
- संसदीय मामले में, "अनिश्चितकाल के लिए स्थगन" का अर्थ है **संसद के किसी सत्र का समापन, बिना यह निर्धारित किए कि अगली बैठक फिर से कब शुरू होगी।**
- **स्थगन की घोषणा करने का अधिकार:** स्थगन की घोषणा **पीठासीन अधिकारी** करता है। बाद में **संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति** अधिसूचना जारी करके सदन का **सत्रावसान** (prorogue) करता है। इससे जारी सत्र आधिकारिक रूप से समाप्त होता है।
- **लंबित कार्यों/ विधेयकों पर प्रभाव:**
  - सत्रावसान वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर **कोई प्रभाव नहीं** पड़ता।
  - अधिकांश **अभ्यावेदन या नोटिस (जैसे प्रश्न, प्रस्ताव, या संकल्प) समाप्त** माने जाते हैं और उन्हें **अगले सत्र में फिर से प्रस्तुत** करना पड़ता है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था न हो।

क्वाड-HADR

म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत** (HADR) पर **क्वाड साझेदारी** ने संयुक्त बयान जारी किया।

- क्वाड **ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है।** इसकी उत्पति **2004 में आई हिंद महासागर सुनामी** से जुड़ी हुई है, जब इन देशों ने राहत कार्यों में सहयोग किया था।

क्वाड HADR के बारे में:

- **पृष्ठभूमि: 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत हेतु क्वाड साझेदारी'** के लिए दिशा-निर्देश 2022 में **टोक्यो** में घोषित किए गए थे।
- **उद्देश्य:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करना।
  - सदस्य देशों की **क्षमता और दक्षता को बढ़ाना।**
  - HADR अभियानों के संचालन में **पारस्परिक सहयोग और समन्वय को मजबूत** करना।

संविधान का अनुच्छेद 311

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने **झारखंड राज्य बनाम रुक्मा केश मिश्रा** मामले में स्पष्ट किया कि संविधान का **अनुच्छेद 311(1)** राज्य के किसी कर्मचारी के खिलाफ **अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए नियुक्त करने वाले प्राधिकारी (संगठन) की मंजूरी अनिवार्य नहीं** करता है।

- हालांकि, कर्मचारी की **बर्खास्तगी** के लिए **अनुच्छेद 311(1) के तहत नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक** होती है।

अनुच्छेद 311 के बारे में

- यह अनुच्छेद संघ या राज्य के तहत सिविल अधिकारी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की **बर्खास्तगी, पद से हटाने या पदावनत** करने से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 311(1):** नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा सिविल सेवा के सदस्यों को न तो बर्खास्त किया जा सकता है या न ही हटाया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 311(2):** जांच के बाद सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद सिविल सेवा के सदस्यों को **बर्खास्त** किया जा सकता है या **पद से हटाया** जा सकता है या **पदावनत** किया जा सकता है।

हंस-3 (NG)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (CSIR-NAL) ने निजी कंपनी के साथ **हंस ट्रेनर-प्लेन** के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी के साथ **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते** पर हस्ताक्षर किए।

- यह **पहली बार** है, जब भारत में पूरी तरह **स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई तकनीक** के आधार पर कोई विमान निर्मित किया जाएगा।

हंस-3 (NG) के बारे में:

- **मुख्य विशेषताएं:**
  - यह अत्याधुनिक **ईंधन दक्ष रोटैक्स 912 iSc3 स्पोर्ट्स इंजन** से संचालित है।
  - **620 नॉटिकल मील** की उड़ान सीमा, **7 घंटे की उड़ान क्षमता** (endurance), और **98 नॉट्स कैलिब्रेटेड एयरस्पीड (KCAS) की अधिकतम क्रूज़ गति।**
- **महत्त्व:**
  - यह विश्वस्तरीय और बड़े पैमाने पर **फ्लाइंग ट्रेनिंग इकोसिस्टम** की सुविधा प्रदान करेगा।
  - यह भारत के विमानन क्षेत्रक को मजबूती प्रदान करेगा और **आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम** सिद्ध होगा।

वन हेल्थ एप्रोच

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने इंसान के पक्षियों के संपर्क में आने से ज़ूनोटिक रोगों के संक्रमण (Zoonotic spillover) की पहचान हेतु **'वन हेल्थ एप्रोच' पर अध्ययन** शुरू किया।

- ज़ूनोटिक स्पिलओवर का अर्थ है – **किसी कशेरुकी (vertebrate) जानवर से इंसान में किसी रोग का फैलना।**

वन हेल्थ एप्रोच के बारे में:

- यह **मनुष्य, जानवर और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत तरीके से देखने** तथा इनसे जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए समेकित उपाय करने वाली एप्रोच है।
- यह एप्रोच विश्व में स्वास्थ्य से जुड़े खतरों की **रोकथाम, पूर्वानुमान, पहचान और प्रतिक्रिया** में मदद करती है।
- **भारत का राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन:** यह देश में **'वन हेल्थ'** से संबंधित सभी गतिविधियों का **समन्वय, समर्थन और एकीकरण** सुनिश्चित करता है।

ट्यूलिप

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) - भारतीय समवेत औषध संस्थान (IIIM) फील्ड स्टेशन बोनिरा, जम्मू, ट्यूलिप पुष्पों को देशी स्तर पर विकसित (स्वदेशीकरण) करने का प्रयास कर रहा है।

- **इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर** एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है।

ट्यूलिप के बारे में

- **मूल उत्पत्ति:** मध्य एशिया और तुर्की।
- **विशेषताएं:** यह एक **कंदयुक्त जड़ी-बूटी** है और **लिली परिवार** का हिस्सा है। यह **बाग-बगीचे में पाया जाने वाला लोकप्रिय पुष्प** है, जो **कई रंगों** में पाया जाता है।
  - इसके पुष्प सीधे होते हैं और इसकी पत्तियां लंबी, चौड़ी और समानांतर शिरे वाली (Veined) होती हैं।
- **जलवायु:** ठंडे क्षेत्रों में इसे **जमीन जमने से पहले लगाया** जाता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसे **हर साल लगाया** जाता है।
- **मिट्टी:** इसके लिए **अच्छी तरह से निकास वाली दोमट मिट्टी** उपयुक्त होती है।

कोच-राजबोंग्शी समुदाय

असम कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि **कोच-राजबोंग्शी समुदाय के खिलाफ विदेशी विषयक अधिकरणों (FTs)** में चल रहे मामलों को वापस लिया जाएगा।

कोच-राजबोंग्शी समुदाय के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** इस समुदाय का संबंध **कामता साम्राज्य** से है। इसमें वर्तमान **असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश** के कुछ हिस्से शामिल थे।
  - कामता साम्राज्य **कोच राजवंश** द्वारा शासित था। **कामता साम्राज्य** का उदय **पाल वंश के पतन** के बाद **प्राचीन कामरूप साम्राज्य (13वीं शताब्दी) के पश्चिमी भाग** में हुआ था।
- **भाषा:** ये लोग **राजबंशी/ राजबोंग्शी** भाषा बोलते हैं, जिसे **कामतापुरी** भी कहा जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार, लगभग **1 करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं।**
- **सांस्कृतिक प्रथाएं:** पहले यह समुदाय प्रकृति पूजक (एनीमिज्म) था। हालांकि, बाद में इसने **हिंदू धर्म** अपना लिया। **समुदाय का एक छोटा हिस्सा ईसाई धर्म** भी मानता है।

वाट फो मंदिर

भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में **वाट फ्रा चेतुफोन विमोन मंगखालाराम राजवारामाहाविहान या वाट फो मंदिर** का दौरा किया।

वाट फो मंदिर के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **बौद्ध मंदिर बैंकॉक के रत्तनकोसिन द्वीप** पर स्थित है।
- **प्रसिद्धि:** यह **मंदिर 46 मीटर लंबी स्वर्ण लेपित लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति** के लिए प्रसिद्ध है, जो बुद्ध के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश को दर्शाती है।
- **महत्त्व:** इसे थाईलैंड का **"प्रथम श्रेणी का शाही मंदिर"** माना जाता है। यह **पारंपरिक थाई चिकित्सा और मसाज की जन्मस्थली** है। इसे **थाईलैंड का पहला विश्वविद्यालय** भी माना जाता है।
- **इतिहास:** यह **राजा राम प्रथम (चकरी राजवंश)** के शासनकाल के दौरान निर्मित सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है।
  - **राजा राम तृतीय** ने इसे और अधिक विस्तारित एवं बड़े पैमाने पर पुनर्निर्मित करवाया था।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

ग्रीनलैंड (राजधानी: नुउक)

डेनमार्क की प्रधान मंत्री ने **आर्कटिक रक्षा सहयोग को बढ़ाने** की आवश्यकता पर बल दिया और अमेरिका की **ग्रीनलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की इच्छा को स्पष्ट रूप से खारिज** कर दिया है। ग्रीनलैंड **डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र** है।

ग्रीनलैंड के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** यह **उत्तरी अटलांटिक महासागर** में अवस्थित **विश्व का सबसे बड़ा द्वीप** है।
  - **पड़ोसी देश:** इसका **सबसे निकटतम पड़ोसी कनाडा का एलेस्मेरे द्वीप** है, जो इसके उत्तर में केवल 16 मील की दूरी पर है। इसका निकटतम यूरोपीय देश **आइसलैंड** है।
- **भौगोलिक विशेषताएं**
  - ग्रीनलैंड का लगभग **दो-तिहाई हिस्सा आर्कटिक सर्कल के उत्तर** में स्थित है।
  - आर्कटिक जलवायु के कारण यहां विशाल बर्फ की चादर बनी रहती है, जो **पूरे द्वीप के लगभग 80% भाग** को कवर करती है।
    - **अंटार्कटिका** के बाद विश्व में सर्वाधिक हिम चादर ग्रीनलैंड में है।
  - **महत्त्व:** आर्कटिक भू-राजनीति (अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है) और भविष्य की ट्रांस-आर्कटिक शिपिंग के कारण इसकी सामरिक अवस्थिति है। यहां **दुर्लभ भू-तत्वों (REE), तेल व गैस, ताजे जल और मत्स्य** के बड़े भंडार हैं।